बसन्त प्रताप सिंह
मुख्य सचिव
Basant Pratap Singh
Chief Secretary

मध्यप्रदेश शासन
वल्लभ भवन, भोपाल - 462 004
Government of Madhya Pradesh
Vallabh Bhawan, Bhopal-462 004

D.O.No-132/CS/2017
Date - 05-06-17.

प्रिय कलेक्टर,

मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास मिशन (MPSSDM) के अन्तर्गत "**मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना**" का शुभारंभ मान. मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से दिनांक 11मई, 2017 को किया गया है। इसी के साथ ही प्रदेश में महिलाओं के कौशल उन्नयन एवं विकास हेतु "**मुख्यमंत्री कौशल्या योजना**" भी प्रारंभ की गई है।

योजनाओं का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विभागों द्वारा संचालित की जा रही कौशल संवर्धन प्रशिक्षण योजनाओं एवं कार्यक्रमों में राष्ट्रीय मानकों के अनुसार एकरूपता लाते हुये, प्रशिक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि करते हुये रोजगार क्षमता में वृद्धि करना है। इन योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षण के लिये प्रारंभिक चरण में 19 सेक्टर्स का चयन किया गया है। ये ऐसे सेक्टर्स् हैं जिनमें प्रदेश, देश एवं देश के बाहर वैतनिक रोजगार, स्वरोजगार एवं उद्यमिता विकास की अपार संभावनायें हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में 2.50 लाख युवाओं एवं 2.00 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है जो आगामी वर्षों में भी निरंतर जारी रहेगा।

"**मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना**" के लक्ष्य समूह में 15 साल से अधिक उम्र के (महिला एवं पुरूष) सभी संभावित पात्र युवाओं को रखने का प्रयास किया गया है जो निम्नानुसार है :-

1. औपचारिक शिक्षा प्रणाली को छोड़े हुए युवा।
7. ऐसे व्यक्ति जो अपना कौशल विकसित कर रोजगार/स्वरोजगार चाहते हैं।
8. ऐसे व्यक्ति जो अपने कौशल को बढ़ाना चाहते हैं।
9. ऐसे कामगार जो अपने अनौपचारिक कौशल का प्रमाणीकरण चाहते हैं।
10. महिलायें एवं अन्य वंचित समूह।
11. नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में आवासीय प्रशिक्षण।

**"मुख्यमंत्री कौशल्या योजना" का लक्ष्य समूह निम्नानुसार है :–**

1. औपचारिक शिक्षा प्रणाली की छोड़े हुए महिलाएँ।
2. ऐसी महिलाएँ जो अपना कौशल विकसित कर रोजगार/स्वरोजगार चाहती हैं।
3. ऐसी महिलाएँ जो अपने कौशल बढ़ाना चाहती हैं।
4. ऐसी महिलाएँ जो अपने अनौपचारिक कौशल का प्रमाणीकरण चाहती हैं।
5. बाल विवाह एवं हिंसा से पीड़ित महिलाएँ।

Tel. : (Off.) 0755-2441370, Fax : 2551521, E-mail : cs@mp.nic.in

योजना शुभारंभ के पूर्व युवाओं/महिलाओं को कौशल संवर्धन की इन योजनाओं का लाभ सहज एवं सरल ढंग से प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहित एवं सक्रिय करना महत्वपूर्ण उद्देश्य है। कौशल उन्नयन की उक्त योजनाओं के लक्ष्य प्राप्ति में DLMMU (District Level Monitoring and Management Unit) की महत्वपुर्ण भूमिका है इसलिये DLMMU एवं उसके अध्यक्ष, कलेक्टर से निम्नलिखित अपेक्षाएं विशेष रूप से की जा रही हैं :–

2. जिला कलेक्टर स्तर पर योजनाओं की मासिक प्रगति बैठक।
2. जिला कलेक्टर द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को योजनाओं हेतु जिला कार्यक्रम समन्वयक मनोनीत करना।
3. जिला स्तर पर योजनाओं को जनसाधारण तक पंहुचाना और प्रभावी मोबिलाइजेशन करना।
4. जुड़े हुए विभागों के साथ संपर्क और कन्वर्जेन्स।
5. प्रशिक्षण कार्यक्रमों व केन्द्रों का फील्ड निरीक्षण करना और MPSSDM को अवगत कराना।
9. रोजगार मेलों का आयोजन।
10. जिला स्तर पर मुख्य नियोक्ताओं का चयन करना और प्रशिक्षणार्थियों का प्रभावी नियोजन हेतु कार्य करना।
11. "**मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना**" एवं "**कौशल्या योजना**" से प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत प्राथमिकता देना ।

उक्त उदेश्य की पूर्ति के लिये निर्देश है कि आपके द्वारा प्रति सप्ताह ली जाने वाली समय–सीमा समीक्षा बैठकों में तथा समय–समय पर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठकों के "एजेण्डा" में "**मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना**" एवं "**मुख्यमंत्री कौशल्या योजना**" को प्राथमिकता से लेते हुए केन्द्रित किया जावे।

लक्ष्य समूह को प्रोत्साहित एवं सक्रिय करने में ग्राम पंचायत स्तर के सचिव, ग्राम कोटवार/सहायक, आंगनवाडी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, रोजगार सहायक ,पंच ,सरपंच, पार्षद, मोहल्ला शांति समिति, लोक कला समूह, स्वसहायता समूहों, इकाई की भूमिका अग्रणी होगी। अतः विशेष रूप से समन्वय एवं सहयोग के लिये प्रेरित करें ।

संलग्न – 1. डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर की सूची।
2. कैम्पेन मैनेजर की सूची।
3. योजना का संक्षिप्त विवरण।

भवदीय,

(बसंत प्रताप सिंह)

समस्त कलेक्टर,
मध्य प्रदेश

प्रतिलिपि :–

समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश ।